

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 68/2019

जीसीएमएस नम्बर :- 2019/00778

1. अन्तर सिंह पुत्र महादेव जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0
2. जयदीप पुत्र महादेव जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये मुख्तार खास अतर सिंह पुत्र महादेव जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीगण

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. निशा पुत्री सुबेसिंह जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. नीरू पुत्री सुबेसिंह जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. राजबाला पत्नी सुबेसिंह जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. आजाद पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. मनोज पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. राजबाला पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. विक्रम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. सरोज पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
10. इन्द्रावती पत्नी भीमा जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. राजकुमार पुत्र भीमा जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. दिलबाग पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
13. फुला देवी पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
14. मंजीत पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
15. विधाधर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
16. श्याम सुन्दर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
17. बीरपाल पुत्र ब्रजा उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
18. वेदपाल पुत्र ब्रजा उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
19. संजय पुत्र ब्रजा उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
20. सज्जन पुत्र ब्रजा उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
21. चन्द्रकला पुत्री ब्रजा उर्फ बृजलाल पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
22. सन्तोष पुत्री ब्रजा उर्फ बृजलाल पत्नी सत्यवीर जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0



५०५  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

23. सुमित्रा पुत्री हरदयाल पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी चरखी दादरी हरियाणा
24. सरोज देवी पुत्री हरदयाल पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी चरखी दादरी हरियाणा
25. किरण पुत्री हरदयाल पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी चरखी दादरी हरियाणा
26. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
28. सुमेर पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
29. सुरेन्द्र पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
30. नीटु उर्फ अनिल पुत्र सुमेर जाति जाट निवासी डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
31. सज्जना देवी पत्नी सुमेर जाति जाट निवासी डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
32. सुमित्रा पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत- खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

-:निर्णय:-

दिनांक:- 20/12/2024

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के हाल खाता संख्या 08 के ख0 न0 4 रकबा 8.48 हैक्टर ख0 न0 130 रकबा 1.00 हैक्टर ख0 न0 136 रकबा 1.35 हैक्टर ख0 न0 137 रकबा 1.70 हैक्टर ख0 न0 289 रकबा 10.56 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 23.09 हैक्टर में वादीगण 1/3 हिस्से के व वादी संख्या 2 जयदीप का वादी संख्या 1 मुख्तारखास है प्रतिवादी संख्या 1 जयवीर 1/6 भाग का खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 जयदीप सगे भाई है जिनका दोनों उक्त भूमि में सयुक्त रूप से 1/3 भाग है जिनके वादीगण खातेदार कास्तकार है। व शेष भूमि में प्रतिवादी संख्याय 1 लगायत 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/252 यानि चारों का 4/252 हिस्सा यानि 1/63 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का हिस्सा प्रत्येक का 1/63 यानि चारों का हिस्सा संयुक्त रूप से 5/63 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का हिस्सा 1/12, 1/12 यानि 1/6 भाग, प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 का प्रत्येक का 1/63 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 22 के हकपूर्वाधिकारी बृजा का हिस्सा 1/6 भाग दर्ज रिकार्ड है। बृजाराम पुत्र सुखदेवा का देहान्त होने से प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 22 को पक्षकार बनाया गया है। व प्रतिवादी संख्या 23 लगायत 26 के हकपूर्वाधिकारी हरदयाल का हिस्सा 1/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 का वाद वर्णित भूमि में कोई संबंध सरोकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 दूसरे ग्राम डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा के रहने वाले है।
2. यह कि वादीगण ने वाद वर्णित भूमि संख्या 30 व 31 तथा दो अन्य खातेदारों से उनका हिस्सा खरीद कर अपने 1/6, 1/6 यानि 1/3 हिस्से पर काबिज कास्त है उपरोक्त वर्णित भूमि का अभी तक विविधिक खाता विभाजन नही हुआ है जिसके कारण वादीगण वाद वर्णित भूमि में अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में असमर्थ हो रहा है इसलिए



उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
 जिला झुंझुनूं (राज.)

वादीगण ने अपने 1/3 भाग की भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु यह दावा बाबत खाता विभाजन न्यायालय श्रीमान जी में पेश किया है।

3. यह कि वादीगण ने वाद वर्णित भूमि को क्रय कर काबिज कास्त हुए है तथा वादीगण दुसरे ग्राम कासनी तहसील सुरजगढ के रिहायसी होने व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 व 28 लगायत 31 संख्या में अधिक होने व लडाकु झगडालु होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को कास्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 वादीगण की भूमि को कास्त के बाद फसल बर्बाद कर देते है भूमि का विकास करने में भी व्यवधान पैदा करते है तथा प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 बहुत ही लडाकु व झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है जिन पर हाल ही में एफ. आई दृ आर नं0 08/2019 अन्तर्गत धारा 147, 149, 186, 224, 225, 323, 332, 353, व 354बी, 379, 427 में पुलिस पार्टी के साथ मारपीट व ड्यूटी में व्यवधान पैदा करने का दर्ज हुआ है व कई अन्य प्रकरण उनके उपर अन्तर्गत धारा 307 भा0द0स0 420, 406 भा0द0स0 के अन्तर्गत दर्ज है जिन पर आरोपित को जेल भी भेजा है प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 बहुत ही खुंखार किस्म के व्यक्ति व गैर कानूनी हथियारों से सज्जित होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 से साजकर वादीगण की भूमि को विधि विरुद्ध तरिके से हड़पना चाहते है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 वादीगण की भूमि पर जबरन विधि विरुद्ध कब्जा ना करे तथा उनके कब्जे कास्त में दख लना करे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है जिसके लिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व 28 लगायत 31 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करते है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि असिचित है जिसमें वर्षा नहीं होने के कारण वादीगण के हिस्से की भूमि पानी के अभाव में बिना किसी फसल के पड़ी है जब वे 15 दिन पूर्व उक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्से की भूमि को जोतने गये तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व 28 लगायत 31 ने वादीगण को धमकी दी कि यदि वे उक्त भूमि को कास्त करेगें तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 की मदद से उनको जान से खत्म कर देगें।

यह कि प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 दुसरे ग्राम डालनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा के निवासी होने व लडाकु झगडालु होने से उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है जिसके लिए वादीगण दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करते है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

- (क). यह वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के हाल खाता संख्या 08 के ख0 न0 4 रकबा 8.48 हैक्टर ख0 न0 130 रकबा 1.00 हैक्टर ख0 न0 136 रकबा 1.35 हैक्टर ख0 न0 137 रकबा 1.70 हैक्टर ख0 न0 289 रकबा 10.56 हैक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 23.09 हैक्टर में वादीगण 1/3 हिस्से का खाता अलहेदा कायम किया जाकर लगान भी अलहेदा कायम किया जावे
- (ख). यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 व प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वादीगण की भूमि



उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुझुनूं (राज.)

1/3 भाग पर वादीगण को कास्त करने से ना रोके व उनकी फसल आदि काटने में कोई व्यवधान पैदा ना करे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 27.01.2021 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.01.2021 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 168 दिनांक 06.04.2021 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1863 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम जैतपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 08 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

--:आदेश:-

“ न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 08 के ख0 न0 4 रकबा 8.48 हैक्टर ख0 न0 130 रकबा 1.00 हैक्टर ख0 न0 136 रकबा 1.35 हैक्टर ख0 न0 137 रकबा 1.70 हैक्टर ख0 न0 289 रकबा 10.56 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 23.09 हैक्टर में वादीगण 1/3 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”



निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

47  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला इन्ड्रन (राज०)  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

47  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला इन्ड्रन (राज०)  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद सं.- 68/2019

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :- 2019/00778

अन्तरसिंह बनाम अमित कुमार आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री महावीर चौधरी एडवोकेट की प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 08 के ख0 न0 4 रकबा 8.48 हैक्टर ख0 न0 130 रकबा 1.00 हैक्टर ख0 न0 136 रकबा 1.35 हैक्टर ख0 न0 137 रकबा 1.70 हैक्टर ख0 न0 289 रकबा 10.56 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 23.09 हैक्टर में वादीगण 1/3 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पंकज शर्मा  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला झुंझुनू (राज.)  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना